

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 83/2024

प्रार्थी—

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी—

श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति
राजपुरोहित निवासी ग्राम रामसर,
तहसील रामसर जिला बाड़मेर


प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 18.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 21.09.2024 को श्री अनिल कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर हमराह श्री कंवराराम, जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर, श्री भंवरलाल मीणा, तहसीलदार रामसर द्वारा मौतबिरान के रुबरु अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स विरात्रा मिष्ठान भण्डार रामसर पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर दुकान मालिक अप्रार्थी श्री श्रवणसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी ग्राम रामसर तहसील रामसर, जिला बाड़मेर उपस्थित मिला। उक्त दुकान में मिष्ठान, चाय बनाकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था। इस दुकान की जांच की तो एक घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु प्रयोग में लेना पाया गया।  गैस सिलेण्डर (एचपीसीएल) मार्क का पाया गया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार—




जिला कलक्टर
बाड़मेर

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	567948P	HPCL	18.800Kg	15.700Kg	3.100Kg

2. मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलू उपयोग के गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किये जाने एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। मौके पर जब्तशुदा 1 घरेलू गैर सिलेण्डर मैसर्स श्री साई कृपा एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक, रामसर के मैनेजर श्री हिम्मतसिंह पुत्र श्री हाथीसिंह जाति राजपूत निवासी रामसर को सुपुर्दनामे पर सुपुर्द किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजीबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी की चाय की दुकान और न ही दुकान पर किसी प्रकार के गैस का उपयोग किया जाता है। अप्रार्थी अपने गोदाम में निर्मित मिठाईयों को दुकान में रख कर बेचने का कार्य करता है तथा उक्त गैस सिलेण्डर घरेलू उपयोग के लिए निवास स्थल तक ले जाने हेतु वाहन का इंतजार कर रहा था। लिहाजा उसके विरुद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावें।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अभियोजन अधिकारी को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के



Handwritten signature in blue ink.

विविध रसद प्रकरण/83/2024/प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर बनाम श्रवणसिंह

व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान में गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स श्री साई कृपा एच.पी. गैस ग्रामीण वितरक को सुपुर्दगी पर दिया गया है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा प्रकट जवाब में अप्रार्थी अपने गोदाम में निर्मित मिठाईयों को दुकान में रख कर बेचने का कार्य करता है तथा उक्त गैस सिलेण्डर घरेलू उपयोग के लिए निवास स्थल तक ले जाने हेतु वाहन का इंतजार कर रहा था। जबकि मौतबिरान के रूबरू मौके व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग लेते हुए जब्त किये गये हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरीत एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तदधीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 200 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन में पाये जाने से उपरोक्त एक गैस सिलेण्डर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलू गैस सिलेण्डर मय द्रवीकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त साशि राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही करें।

6. आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(टीना डाबी)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर